संख्या 2553 मा0सं0वि0

प्रेषक,

एन0 रविशंकर
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक/राज्य परियोजना निदेशक
उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद
देहरादून।

मानव संसाधन विकास विभाग — दिनांक : देहरादून, 28 जून, 2001

विषय— जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम--।।। के अन्तर्गत नवीन स्थापित प्राथमिक विद्यालयों के लिए सृजित प्रधानाध्यापकों के पदों का वेतन भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या रा0प0नि0/82/2000–2001 दिनांक 4 मई 2001 जो उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 6071/15.5.2000–63/2000 दिनांक 11 अक्टूबर 2000 द्वारा उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित प्रधानाध्यापकों के वेतन भुगतान की व्यवस्था के सम्बन्ध में है, पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश के अनुच्छेद 3 को एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधित किया जाता है—

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम—।।। के अन्तर्गत सृजित प्रधानाध्यापको के पद पर पदोन्नति से नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक के वेतन की धनराशि का व्यय बेसिक शिक्षा के आयोजनेतर पक्ष से पूर्ववत् वहन किया जाता रहेगा।

2. उक्त पद पर पदोन्नति से वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वेतन में वेतनवृद्धि (Incremental salary) का भुगतान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम—।।। द्वारा किया जायेगा। 31.03.2005 के बाद ये सभी पद स्वतः ही बेसिक शिक्षा में समायोजित हो जायेंगे।

शासनादेश संख्या 6071/15.05.2000–63/2000 दिनांक 11 अक्टूबर 2000 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय

N. Ravi Shanker

(एन0 रविशंकर)
सचिव शिक्षा

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

महालेखाकार, लेखा व हकदारी प्रथम/लेखा परीक्षा प्रथम, उत्तरांचल सेल, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उत्तरांचल देहरादून।
जिलाधिकारी, समस्त परियोजना जनपद।
वरिष्ठ विशेषज्ञ, डी0पी0ई0पी0—।।। राज्य परियोजना कार्यालय देहरादून।
कोषाधिकारी, समस्त परियोजना जनपद।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त परियोजना जनपद।
वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, समस्त परियोजना जनपद।

आज्ञा से